



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092020-221554
CG-DL-E-04092020-221554

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2020/भाद्र 13, 1942
No. 228]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020/BHADRA 13, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितंबर, 2020

मामला संख्या: एडीडी- (ओ आई) 27/2020

विषय: चीन जन.गण. से निर्यातित “विटामिन-सी” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 6/32/2020-डीजीटीआर.— 1. मै. बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “अपने सभी रूपों में विटामिन सी”, (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” या “विचाराधीन उत्पाद” या “पीयूसी” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन.गण. से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. विचाराधीन उत्पाद “अपने सभी रूपों में विटामिन सी” है जिसे एसकोरबिक एसिड, एल-जायलोएसकोरबिक एसिड, 3- ओक्सो एल- गुलोफुरानोलेक्टोन (एनोल रूप), एल-3 केटोथ्रियोहेक्सोरोनिक एसिड लेक्टोन आदि के नाम से जाना जाता है, जैसा कि इंडेक्स की प्रविष्टि सं. 867 में वर्णित है।
4. विटामिन-सी का प्रयोग प्राथमिक रूप से विभिन्न दवाओं के उत्पादन में भेषज कंपनियों द्वारा किया जाता है। इस उत्पाद का प्रयोग गैर-भेषज उद्योग द्वारा भी किया जाता है। विटामिन सी एक अनिवार्य पोषक है जो उत्तकों की मरम्मत में शामिल होता है और विभिन्न खाद्य में पाए गए कतिपय न्यूरोट्रांसमीटर का एंजाइमेटिक उत्पादन करता है। यह अनेक एंजाइम के कार्य के लिए भी अपेक्षित है और रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य हेतु महत्वपूर्ण है। ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है।
5. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 29 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 29362700 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित पीयूसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और स्थिति

7. यह आवेदन मै. बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। रिकॉर्ड पर जानकारी के अनुसार, आवेदक का भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। आवेदक ने दावा किया है कि न तो उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या किसी उत्पादक अथवा भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं। आवेदक के अलावा भारत में विचाराधीन उत्पाद के तीन अन्य उत्पादक हैं यथा- मै. अमोली ऑर्गेनिक्स प्रा. लि., मै. रेकोन डायग्नोस्टिक्स प्रा. लि. तथा मै. एस. आर. बायोकेम। तीन अन्य उत्पादकों द्वारा समर्थन पत्र दिया गया है। अतः यह नोट किया जाता है कि यह याचिका पूरे भारतीय उद्योग द्वारा समर्थित है और आवेदक के पास समर्थकों सहित भारतीय उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा है।
8. उपर्युक्त के मद्देनजर और आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

कथित पाटन का आधार

क. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

9. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ-7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने नियमावली के

अनुबंध 1 के पैरा 8(2) का उल्लेख किया है और यह बताया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाए कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) के अनुसार संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं। आवेदक ने दावा किया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की कीमत या परिकलित मूल्य अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत समेत अन्य देशों को कीमतें न तो आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और न ही प्राधिकारी को ऐसी सूचना किसी सार्वजनिक स्रोत से उपलब्ध हुई है। इसलिए, सामान्य मूल्य को भारत में प्रदत्त या देय कीमत को लाभ को विधिवत रूप से समायोजित करके तथा बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ जोड़ने के बाद भारत में उत्पादन लागत पर विचार करते हुए निर्धारित की गई कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है।

ख. निर्यात कीमत

10. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के लिए संबद्ध वस्तु के निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय मालभाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभार के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

ग. पाटन मार्जिन

11. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से पीयूसी के संबंध में पाटन मार्जिन के न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक होने का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पीयूसी का पाटन किया जा रहा है।

क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

12. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव अर्थात् कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रास के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि पीओआई के दौरान उसके कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे बाजार हिस्सा, लाभ, नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) और नकद लाभ में गिरावट आई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

पाटनरोधी जांच की शुरूआत

13. घरेलू उद्योग के द्वारा या उसकी ओर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरूआत करते हैं।

संबद्ध देश

14. इस जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

जांच की अवधि (पीओआई)

15. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 - 31 मार्च, 2020 (12 माह) की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2016 - 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल 2017- 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल 2018- 31 मार्च, 2019 और पीओआई की अवधियां शामिल होंगी।

प्रक्रिया

16. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

17. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एम एस वर्ल्ड फॉर्मेट में और डाटा फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य होनी चाहिए।
18. ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातक और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी उक्त पैरा 17 में उल्लिखित ईमेल पतों पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
20. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

21. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।
23. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए हितबद्ध पक्षकारों को आधिकारिक वेबसाइट यानी www.dgtr.gov.in पर नियमित निगरानी रखने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
25. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
27. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
28. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
29. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
30. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
31. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

32. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखने तौर-तरीको को तैयार किया जा रहा है।

असहयोग

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बिद्युत बिहारी स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th September, 2020

Case No. ADD-OI-27/2020

Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of “Vitamin C” from China PR.

F. No. 6/32/2020-DGTR.—1. M/s. Bajaj Healthcare Limited (hereinafter also referred to as “Applicant”) has filed an application (also referred to as “petition”) seeking initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Vitamin C in all its form” (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from China PR (also referred to as “subject country”) before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the “Rules”).

2. The Applicant has alleged that material injury to the Domestic Industry is being caused due to dumped imports of subject goods from China PR, and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from China PR.

Product under Consideration (PUC)

3. The product under consideration is “Vitamin C in all its form”, also known as ascorbic acid, L-Xyloascorbic Acid, 3-oxo L-Gulofuranolactone (enol form), L-3-Ketothreohexuronic Acid Lactone etc., as described under entry number ‘867 of Merck Index’.
4. Vitamin-C is primarily used by the pharmaceutical’s companies for production of various medicines. The product has uses also in non-pharmaceutical industry. Vitamin C is an essential nutrient involved in the repair of tissue and the enzymatic production of certain neurotransmitters found in various foods. It is required for the functioning of several enzymes and is important for immune system function. It also functions as an antioxidant.
5. The product under consideration is classified under chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under customs sub-heading no. 29362700. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

Like article

6. The Applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject country and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and PUC imported from subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The Applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic industry and standing

7. The Application has been filed by M/s. Bajaj Healthcare Limited. As per the information on record, the Applicant commands a major proportion of domestic production of like article. The Applicant has claimed that they have neither imported the subject goods from the subject country nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India. There are three other producers of the domestic like product in India, other than the applicant, i.e., M/s Amoli Organics Pvt Ltd, M/s Reckon Diagnostics Pvt. Ltd., and M/s SR Biochem. The support letters have been filed by other three producers. Hence, it is noted that the petition has been supported by the entire Indian Industry, and the Applicant along with supporters account for 100% of the Indian production.
8. In view of the above, and after due examination, the Authority notes that the Applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

Basis of Alleged Dumping**a. Normal Value of China PR**

9. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The Applicant has cited Para 8(2) of Annexure I of the Rules and has stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms Para 8(3) of Annexure I of the Rules. The Applicant has claimed that for China, normal value should be determined in accordance with para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The prices or constructed value of the product under consideration in the appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, has neither been made available by the Applicant nor is this information available with the Authority from any public source. Thus, normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted to include profit, which has been determined considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

b. Export Price

10. The Authority has computed export price for subject goods for the subject country based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), transaction-wise import data. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, bank charges and handling charges.

c. Dumping Margin

11. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is above the de-minimis level, and is significant in respect of the PUC from the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the PUC from subject country is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

Evidence of injury and causal link

12. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the price effect i.e., price undercutting, price depression and suppression on the domestic industry. The Applicant has claimed that its performance has been adversely impacted during the POI leading to decline in market share, profits, return on capital employed (ROCE) and cash profits. There is sufficient prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject country.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

13. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Subject country

14. The subject country for this investigation is China PR

Period of Investigation (POI)

15. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2019 – 31st March 2020 (12 months). The injury investigation period will cover the periods 1st April 2016- 31st March 2017, 1st April 2017- 31st March 2018, 1st April 2018- 31st March 2019 and the POI.

Procedure

16. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of Information

17. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

18. The known exporters, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned in Para 17 above.
20. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

21. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
23. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR i.e. www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation.

Submission of information on confidential basis

24. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
25. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
26. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
27. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
28. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
29. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
31. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

32. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-cooperation

33. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority